भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3337

उत्तर देने की तारीख : 20.03.2025

महेसाणा में एमएसएमई को बढ़ावा

3337. श्री हरीभाई पटेल:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार महेसाणा में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना लागू कर रही है, जिसमें बुनियादी ढांचे और सामान्य सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है और यदि हां, तो योजना के उद्देश्यों और दायरे का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2024 में योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या और परियोजना की कुल लागत और इन परियोजनाओं के लिए प्रदान किए गए अनुदान का ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना द्वारा समर्थित प्रमुख क्षेत्र, जैसे विनिर्माण, परीक्षण, पैकेजिंग, अनुसंधान एवं विकास, उत्पाद नवाचार और कौशल गतिविधियां का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस योजना ने एनईआर, महेसाणा और सिक्किम में एमएसएमई के विकास में किस प्रकार योगदान दिया है और इन अनुमोदित परियोजनाओं से अपेक्षित परिणाम का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित राशि और उसके भविष्य के वित्तपोषण की योजनाओं सहित वर्ष 2024 में योजना के लिए जारी अनुदान की कुल राशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : एमएसएमई मंत्रालय "सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी)" का कार्यान्वयन कर रहा है। एमएसई-सीडीपी स्कीम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, कौशल और गुणवत्ता आदि में वृद्धि जैसे सामान्य मुद्दों का समाधान करके सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के स्थायित्व, प्रतिस्पर्धात्मकता और विकास को बढ़ाना है ताकि नए/मौजूदा औद्योगिक संपदाओं/क्षेत्रों/फ्लैटेड फैक्ट्री परिसरों में बुनियादी सुविधाओं की स्थापना/उनके उन्नयन तथा मौजूदा क्लस्टरों में सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) की स्थापना करने हेतु भारत सरकार की अनुदान राशि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करके क्लस्टर विकास दृष्टिकोण को अपनाकर उनका समग्र विकास किया जा सके।

(ख) : यह एक मांग आधारित स्कीम है। राज्य सरकारों/संघ-राज्य क्षेत्रों की सरकारों से उनकी आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्ताव प्राप्त किए जाते हैं। मेहसाना के लिए इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2024 में गुजरात सरकार से कोई परियोजना प्राप्त नहीं हुई थी तथापि, मेहसाना जिले में पैकेजिंग क्लस्टर, कादी में सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए 937.60 लाख रु. की परियोजना लागत के साथ एक परियोजना को अनुमोदन प्रदान किया गया था जिसमें वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 750.08 लाख रु. की भारत सरकार की अनुमोदित अनुदान राशि शामिल है।

(ग) : इस स्कीम द्वारा सहायता प्राप्त मुख्य क्षेत्र परीक्षण और गुणवत्ता उन्नयन सुविधाओं, वर्धित विनिर्माण सुविधाओं, पैकेजिंग सुविधाओं, अनुसंधान और विकास केंद्र, परीक्षण केंद्र/कौशल उन्नयन सुविधाओं, डिजाइन/इन्क्यूबेशन केंद्र आदि जैसी सुविधाओं का सृजन करके औद्योगिक क्षेत्र/मौजूदा क्लस्टरों में सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) की स्थापना करना है।

(घ) और (ङ) : एमएसई-सीडीपी स्कीम के अलावा, एमएसएमई मंत्रालय "पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई का संवर्धन" नामक एक समर्पित स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। इस स्कीम में फलों, मसालों, कृषि, वानिकी, रेशम कीट पालन और बांस आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों के लिए विनिर्माण, परीक्षण, पैकेजिंग, अनुसंधान और विकास, उत्पाद और प्रक्रिया संबंधी नवोन्मेषों और प्रशिक्षण को अनुपूरित करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में एमएसएमई के लिए बुनियादी और सामान्य सुविधाओं का सृजन अथवा उन्नयन करने में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पर्यटन क्षेत्र में संलग्न एमएसएमई के लिए औद्योगिक संपदाओं और फ्लैटेड फैक्ट्री परिसरों एवं सामान्य सुविधाओं का विकास किया जाता है। यह स्कीम एमएसएमई के सतत और स्थायी विकास के लिए अवसंरचना के विकास में सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2024 में इस स्कीम के अंतर्गत 12 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है। दोनों स्कीमें मांग आधारित हैं और इसके लिए प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त होते हैं। इन स्कीमों के अंतर्गत राज्य-वार कोई आवंटन नहीं किया जाता है। वर्ष 2024 तथा जनवरी 2025 से दिनांक 18.03.2025 तक इन स्कीमों के अंतर्गत जारी की गई कुल राशि का ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

स्कीम का नाम	**वर्ष 2024 में जारी की गई निधि**	**जनवरी 2025 से दिनांक 18.03.2025 तक जारी की गई निधि**
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई का संवर्धन	69.415 करोड़ रु.	10.46 करोड़ रु.
सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी)	7.365 करोड़ रु.	1.80 करोड़ रु.

******